निर्णय व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 20/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मोहन कुमार शर्मा पुत्र स्व॰ श्री बालासहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल निवासी 183 श्री जी नगर, दुर्गापुरा, टौंक रोड, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री अर्जुन लाल शर्मा नायब तहसीलदार विराटनगर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नायब तहसीलदार विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 138/2021 व उनवानी राजस्थान सरकार बनाम मोहन पुत्र बाला सहाय व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थित:–

1. श्री प्रदीप कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 03.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार विराटनगर के समक्ष प्रकरण संख्या 138/2021 व उनवानी राजस्थान सरकार बनाम मोहन पुत्र बाला सहाय व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार विराटनगर से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. बहस प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजनैतिक द्वेषतावश प्रार्थी के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 138/2021 दर्ज कर नोटिस तारीख पेशी 22.11.2021 तामील दिनांक 24.12.2021 को प्रार्थी के पुत्र पर कराई गई है जो विधि विरूद्व है। प्रार्थी ने दिनांक 27.12.2021 को नोटिस का जबाव रिकार्ड की नकले प्राप्त होने पर पेश करने हेतु समय चाहा जिस पर आगामी पेशी दिनांक 10.01.2022 दी गई । चूंकि प्रार्थी सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त 81 वर्षीय व्यक्ति है तथा सरकारी रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां कोरोना काल के कारण तथा राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्राप्त करने में असमर्थ है। इसलिए प्रार्थी ने नायब तहसीलदार विराटनगर से दिनांक 10.01.2022 को दो माह का अवसर दिये जाने की प्रार्थना की थी, किन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर केवल मात्र 15 दिवस का समय देते हुये आगामी दिनांक 28.01.2022 नियत कर दी और मौखिक तौर पर कहा कि मुझ पर राजनैतिक दबाव है

जिला कलक्टर
जयपुर

और मै तुम्हारे मकान को तोडने के ही आदेश करूंगा। इस प्रकार अप्रार्थी कानूनी प्रकिया एवं कोराना गाइड लाइन की अनदेखी कर प्रार्थी के विरूद्ध आदेश पारित करने की ऐलानियां कह रहा है जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी से न्याय मिलने की कतई आशा नही है। अप्रार्थी ने कायदा कानून व कोरोना गाइड लाइन की अवहेलना करते हुय प्रार्थी के खिलाफ आदेश पारित कर दिया तो प्रार्थी को नाहक अन्य मुकदमेबाजी में फंसना पड़ेगा तथा प्रार्थी को अकथनीय व अपूर्तनीय क्षति होगी और प्रार्थी को अपनी वैध सम्पत्ति से महरूम होना पडेगा। इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित कराना आवश्यक हो गया और यही मुन्तकिल प्रार्थना पेश करने का कारण है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी ने अपने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा आदेशिकाओं की एक ही इबारत को दो प्रथक प्रथक फर्द अहकाम पर लिखा जाने की फोटो प्रति पेश की गई है, जो प्रार्थी के सन्देह का पुख्ता करती है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार विराटनगर से बिन्दूवार टिप्पणी चाही गई थी, किन्तु प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी ने नायब तहसीलदार विराटनगर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. नायब तहसीलदार विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 138/2021 व उनवानी राजस्थान सरकार बनाम मोहन को न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा मे स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 21.03.2022 को न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा में उपस्थित हो।

8. तहसीलदार शाहपुरा प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहपुरा व नायब तहसीलदार विराटनगर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/3/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर